



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012020-215069

CG-DL-E-02012020-215069

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4220]

No. 4220]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर, 31, 2019/पौष 10, 1941

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2019/ PAUSHA 10, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

(आयकर)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4722(अ).—दिनांक 20 सितम्बर, 2019 की संख्या का.आ. 3426(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 20 सितम्बर, 2019 की संख्या 71/2019 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना में पृष्ठ संख्या 5 पर अनुसूची-III में:—

(i) कॉलम (2) के तहत प्रविष्टि में क्रम संख्या 24 के सामने “दुर्गापुर” शब्द को “वर्दवान” के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना है।

(ii) कॉलम (2) के तहत प्रविष्टि में क्रम संख्या 25 के सामने “जलपाईगुड़ी” शब्द को “सिलीगुड़ी” के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना है।

[अधिसूचना सं. 109 /2019 फा.सं. 187/8/2019-आईटीए-1]

गुलज़ार अहमद वानी अवर सचिव,